UPLK010037702026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारीः– जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच०जे०एस०), जे०ओ० कोड नं०–यू०पी० 2398

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1773/2026

आफताब उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र शेख अब्बास, निवासी– तहसीनगंज चौराहा, निकट घास मण्डी, थाना–ठाकुरगंज, लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–18/2026
धारा–3,7,25 आयुध अधिनियम
थाना–मड़ियांव, जनपद–लखनऊ।

दिनाँक–02.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त आफताब की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा नितिन कुमार, उप निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाने पर एक तहरीर इस अभिकथन के साथ दी गई कि " दिनांक 11–01–2026 मैं उ०नि० नितिन कुमार मय हमराह उ०नि० शुभम तिवारी (सादे वस्त्रों में), उ०नि० पुष्पेन्द्र चौधरी (सादे वस्त्रों में), हे०का० कमलेश कुमार वर्मा, का० मनोज कुमार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/वारन्टी व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग मे आईआईएम तिराहे पर मौजूद थे। हम लोग आपस में थाना क्षेत्र में घटित चोरी की घटनाओं के रोकथाम के सम्बन्ध में आपस में विचार–विमर्श कर रहे थे कि ठाकुर प्रखबिर खास ने आकर मुझ उ०नि० को सूचना दी कि साहब कुछ लोग जो बन्द घरों में चोरी करते हैं चोरी के माल सहित एक सफेद रंग की अपाचे बाइक पर दुबग्गा की ओर से आ रहे हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुझ उ०नि० द्वारा जरिये दूरभाष उ०नि० अखिलेश कुमार, का० दिग्विजय यादव, का० अखिलेश वर्मा व रात्रिधिकारी उ०नि० अखिलेश सिंह को हस्बुलतलब किया। जो कि कुछ समय में सभी लोग मौके पर उपस्थित आये मौके पर मौजूद समस्त पुलिस बल को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर एवं विश्वास कर हम पुलिस बल द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। दौराने जामा तलाशी आने जाने वाले राहगिरो से गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई का हवाला देते हुए हट बढ गये । तत्पश्चात मै उ०नि० मय हमराहियान मय मुखविर के आईआईएम तिराहे से यादव चौराहे के पास पहुँचकर टीम को दो टीमों मे बांटकर एक टीम में मुझ उ०नि० के साथ उ०नि० शुभम तिवारी (सादे वस्त्रों मे उ०नि० पुष्पेन्द्र चौधरी, हे०का० कमलेश कुमार वर्मा, का० मनोज कुमार यादव चौराहे पर दुबग्गा से आने वाली रोड पर आड लेकर खड़े हो गये तथा दूसरी टीम मे उ०नि० अखिलेश कुमार, का० दिग्विजय यादव, का० अखिलेश वर्मा व रात्रिधिकारी उ०नि० अखिलेश सिंह को उसी रोड पर थोडा पीछे आड लेकर खड़ा कर मुखबिर द्वारा बतायी गयी दो पहिया अपाचे बाइक का इन्तजार करने लगे कुछ देर बाद एक बाइक आती दिखाई दी जिसे देखकर मुखबिर ने इशारा किया कि यही गाडी है तो पहली टीम के द्वारा बाइक को रुकने का इशारा किया तो बाइक चालक सामने हम लोगों को देखकर बाइक वापस मोडकर जाने का प्रयास करने लगा कि वंहा पर पहले से मौजूद दूसरी टीम के द्वारा घेरघारकर उक्त बाइक को रोक लिया गया तो उस बाइक पर बैठे चार व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे तो हम पुलिस बल द्वारा हिकमत हमली का प्रयोग व आवश्यक बल प्रयोग करते हुए भागने का प्रयास कर रहे चारो व्यक्तियो को मौके पर पकड़ लिया गया पकडे गये व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा गया तो चारो व्यक्ति टालमटोल करने लगे कड़ाई से पूछा गया तो चारों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग साथ मिलकर बन्द घरों में ताला तोडकर चोरी करते हैं हम लोगों के पास बन्द घरों से चोरी किये हुए रुपये व जेवरात हैं। आज हम लोग चोरी के सामान को बेचने व अन्य किसी घर में चोरी की तलाश मे निकले थे कि आप लोगों द्वारा हमको रोकने का प्रयास किया तो हम लोग भागने का प्रयास किये कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम नवाब अली उर्फ सलमान अली उर्फ अर्जुन उर्फ अमन पुत्र अब्दुल हक निवासी बेगरिया निकट ब्राइट ब्रेन्स पब्लिक स्कूल थाना दुबग्गा लखनऊ मूल पता खेरवा पूरबावा थाना सदर कोतवाली जनपद हरदोई उम्र 23 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहने पैंट की बांयी फैट से एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर बरामद हुई जिसमे लगे मैगजीन कैच को दबाकर मैगजीन बाहर निकालकर देखा गया तो उसमे 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ

जिसको सुरक्षार्थ मैगजीन से बाहर मेर निकाला गया जिसके पेंदे पर KF 7.65 अंकित है। पिस्टल का बागौर निरीक्षण किया गया तो बाडी की लम्बाई लगभग 08 अंगुल, बट की लम्बाई लगभग 05 अंगुल बट पर दोनों तरफ प्लास्टिक का चाप स्क्रू से कसा है। बट व ट्रिगर गार्ड के बीच में मैगजीन इजैक्टर लगा है। हैमर जिसपे लाइनिंग का डिजाईन बना हुआ है। बाडी के निचले हिस्से में ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड लगा हुआ है पिस्टल के बायी तरफ स्लाइडर के नीचे सेफ्टी कैच लगा है, जो स्क्रू से कसा है, पिस्टल चालू हालत में है तथा बांयी जेब से 03 अदद कारतूस 32 बोर बरामद हुए जिनके पेंदे पर KF 7.65 अंकित है, 01 कारतूस के पेदे पर ठोकर लगी हुई है तथा दाहिनी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस 7.62 बोर बरामद हुये, जिनमें से एक के पेदे पर OFV 02 7.62 M80 अंकित है दूसरे कारतूस के पेंदे पर OFV 06 7.62 M80 अंकित है। बरामद पिस्टल व कारतूस के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति से रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने मे कासिर रहा। पकडे गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **आफताब पुत्र शेख अब्बास निवासी तहसीनगंज चौराहा निकट घासमण्डी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहने पैट की दाहिनी फैट से एक अदद अवैध पिस्टल 9 एमएम बोर बरामद हुई जिसमे लगे मैगजीन कैच को दबाकर मैगजीन बाहर निकालकर देखा गया तो उसमे 01 अदद जिन्दा कारतूस 9 एमएम बोर बरामद हुआ जिसको सुरक्षार्थ मैगजीन से बाहर निकाला गया जिसके पेंदे पर 9 MM KF अंकित है।** पिस्टल का बागौर निरीक्षण किया गया तो बाडी की लम्बाई लगभग 01 बालिष्ठ, बट की लंम्बाई लगभग 04 अंगुल बट पर दोनो तरफ प्लास्टिक का चाप स्क्रू से कसा है। बट व ट्रिगर गार्ड के बीच मे मैगजीन इजैक्टर लगा है। हैमर जिसपे लाइनिगं का डिजाईन बना हुआ है। बाडी के निचले हिस्से में ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड लगा हुआ है पिस्टल के बांयी तरफ स्लाइडर के नीचे सेफ्टी कैच लगा है पिस्टल चालू हालत में है तथा **बायी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 9 एमएम बोर बरामद हुए जिनमे दोनो के पेंदे पर 9 MM KF अंकित है तथा दाहिनी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुये जिनमे से एक के पेदे पर OK 07 7Z अंकित है दूसरे कारतूस के पेंदे पर OK 04 7Z अंकित है। बरामद पिस्टल व कारतूस के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्ति से रखने के सम्बन्ध मे लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने मे कासिर रहा**। पकडे गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अफरोज उर्फ मो० फिरोज पुत्र शेख अब्बास निवासी अन्धे की चौकी निकट अली गार्डन मर्फतमऊ थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र लगभग 35 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहने हुए पैंट की बांयी फैट से एक अदद नाजायज तमन्चा 312 बोर बरामद हुआ जिसको देखा गया तो नाल को खोलने व बन्द करने के लिए स्प्रिंगदार कैच लगा है जिसे दबाकर नाल को खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर एक अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर बारंग महरूम बरामद हुआ जिसके पेदें पर shaktiman 12 express 12 अंकित है बरामद तमन्चे का बागौर निरीक्षण किया गया तो नाल की लम्बाई 6 अंगुल, बट 4 अंगुल, बाडी की कुल लम्बाई 01 बालिष्ठ, ट्रिगर व हैमर लोहे के व तमन्चा चालू हालत में है। दाहिनी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस 312 – बोर बारंग बादामी बरामद हुआ जिसके पेदें पर shaktiman 12 express 12 अंकित है व बांयी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुये जिनमे से एक 7.62 बोर जिसके पेदे पर OFV 02 7.62 M80 95 अंकित है तथा दूसरा जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ जिसके पेंदे पर OK 04 7Z अंकित है। बरामद तमन्चे व कारतूस के सम्बन्ध मे पकडे गये व्यक्ति से रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने मे कासिर रहा। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम शमशुल पुत्र मो० असफाक निवासी अहमदाबादगंज निकट मदीना मस्जिद थाना तम्बौर जनपद सीतापुर हालपता निकट नवीन सब्जी मण्डी पीली कालोनी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष जामा तलाशी से पहने हुए पैंट की दाहिनी फैट से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ जिसको देखा गया तो नाल को खोलने व बन्द करने के लिए स्प्रिंगदार कैच लगा है जिसे दबाकर नाल को खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके पेदे पर KF 8 MM अंकित है बरामद तमन्चे का बागौर निरीक्षण किया गया तो नाल की लम्बाई 7 अंगुल, बट 3 अंगुल, बट के उपर दोनों ओर लकडी की चाप स्क्रू से कसी हुयी है बाडी की कुल लम्बाई 01 बालिष्ठ, ट्रिगर व हैमर लोहे के व तमन्चा चालू हालत में है। दाहिनी जेब से 4 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर जिनके पेंदे पर KF 8 MM अंकित है बरामद हुए व बायी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस 7.62 बोर बरामद हुये जिनके पेदे पर OFV 7.62 M80 अंकित है जिनमे से एक के पेदे पर ठोकर लगी हुयी है बरामद हुआ बरामद तमन्चे व कारतूस के सम्बन्ध मे पकडे गये व्यक्तिसे रखने के सम्बन्ध मे लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा। पकडे गये चारों व्यक्तियो के बीच मे रखे स्लेटी रंग के बैग को खोलकर देखा गया तो काली पन्नियों के अन्दर कुछ सामान रखा है। जिसमें से पहली पन्नी को खोलकर देखा गया तो पहली पन्नी के अन्दर 01 अदद हार पीली धातु, 01 अदद नथ पीली धातु, 02 अदद अंगूठी पीली धातु, 1 जोडी झुमकी पीली धातु बरामद हुआ। बरामद पीली धातु के सम्बन्ध में पूछा गया तो सभी ने ने एक स्वर में बताया कि 4–5 दिन पहले हम चारों लोगों ने मिलकर नरायन गार्डन कालोनी ठाकुरगंज में रात के समय बंद मकान का ताला तोडकर चोरी किया था जिसमें हम लोगों को सोने के जेवर व रूपये मिले थे। वहां से मिले रूपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बराबर बाट लिया था। जिसे हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च कर दिये। ये जेवर उसी चोरी का है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज कार्यालय में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज में मु०अ०सं० –0028/26 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। दूसरी पन्नी को खोलकर देखा गया तो 01 जोडी बूंदे पीली धातु, 01 अदद लाकेट पीली धातु, 01 अदद लेडिज अंगूठी पीली धातु, 02 अदद नाक की कील पीली धातु बरामद हुआ। बरामद पीली धातु के सम्बन्ध में पूछा गया तो सभी ने एक स्वर में बताया कि लगभग डेढ महीना पहले हम चारो लोगों ने मिलकर लोहरा मऊ में एक बंद मकान में ताला तोडकर चोरी किया था, जिसमें से हमे सोने चाँदी के जेवर व रूपये मिले थे। कुछ जेवर हम लोगों ने राह चलते राहगिरों को बेच दिया था उसमे जो रूपये मिले थे व उस घर की चोरी में जो नगद रूपये मिले थे उसे हम लोगों ने आपस में बराबर –बराबर बाट लिया था। जो कि खर्च हो गये हैं। ये जेवर उसी चोरी का है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कार्यालय से जानकारी की गयी तो मु०अ०सं०–007/26 धारा–305 ए/331(4) बी०एन०एस० पंजीकृत है। तीसरी पन्नी को खोलकर देखा गया

तो उसके अन्दर 04 जोडी पायल सफेद धातु. 01 जोडी झुमकी पीली धातु 01 अदद चेन पीली धातु एक तरफ से टूटी हुई, 01 जोडी झाला पीली धातु बरामद हुआ। बरामद पीली धातु व सफेद धातु के जेवरात के सम्बन्ध में पूछा गया तो सभी ने एक स्वर में बताया कि लगभग डेढ महीना पहले रात के समय हम चारों लोगों ने मिलकर पैराडाइज कालोनी गाजीपुर बलराम में बद मकान में ताला तोडकर चोरी किया था। जिसमे हम लोगों को सोने चाँदी के जेवर व रूपये मिले थे। कुछ जेवर हम लोगों ने राह चलते राहगिरो को बेच दिया था। उससे जो रूपये मिले थे व उस घर की चोरी में जो रूपये मिले थे। उसे हम लोगों ने आपस मे बराबर बराबर बांट लिया था जिसे हम लोगों ने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कार्यालय से जानकारी की गयी तो मु०अ०सं०–684/25, धारा–305 ए/331 (4) बी०एन०एस० पंजीकृत है। तत्पश्चात बैग की दूसरी चैन खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर स्लेटी कलर का पैंट का कपडा जिसकी किनारी पर अंग्रेजी में SUPER 100–'SMERINOWOOL BLENDED SUITINGS व आसमानी रंग के कपडे के किनारे पर अंग्रेजी में ACCORDED LUXURY FABRICH BY VELARDI FROM THE HOUSE SIYARAMS व 1 पन्नी में डार्क ब्लू रंग का कपडा जिसकी किनारी पर अंग्रेजी में RAYMOND SAPPHIRE अंकित है। 1 अलग पन्नी में स्लेटी कलर का पैंट का कपडा जिसकी किनारी पर SUPER FINE 989T/W BY OCM अंकित है। जिसके अन्दर 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/– रूपये बरामद हुआ। बरामद कपडे व रूपये के सम्बन्ध में पूछा गया तो चारों लोगों ने एक स्वर में बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व हम चारो ने मिलकर आम्रपाली कालोनी दुबग्गा में एक बंद मकान में घुसकर चोरी किया था। जिसमें हम लोगों को सोने चाँदी के जेवर, रूपये व कपडे मिले थे। सोने चाँदी के जेवर को राह चलते राहगिरों को बेच दिया था। उससे जो रूपये मिले थे उसे हम लोगों ने आपस में बांटकर खर्च कर दिये है। ये कपडे व रूपये उसी घर की चोरी के है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कार्यालय दुबग्गा से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना दुबग्गा में उक्त घटना के सम्बन्ध में मु०अ०सं० –003/26 धारा–305 ए बी०एन०एस० पंजीकृत है। **बैग के अन्दर रखे कपडों के नीचे एक पन्नी में 02 अदद सुतली बम सुतली लगे हुए व 06 अदद सुतली बम जिनके ऊपर काले रंग की टेप लगी हुयी है बरामद हुए। बरामदशुदा सुतली बम को सावधानीपूर्वक अलग किया गया व का० दिग्विजय यादव को चौकी छैला भेजकर एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भरवाकर मौके पर मंगवाकर बरामदशुदा सुतली बम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से बाल्टी में डाला गया। बरामदशुदा सुतली बम रखने के सम्बन्ध लाइसेंस मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहे व पूछने पर बताया कि साहब हम लोग चोरी करने जाते है तो हम लोगों से बरामद पिस्टल, तमचा व सुतली बम इस उद्देश्य से लेकर जाते है कि यदि पकडे जाये तो इनका प्रयोग करके वहाँ से भाग जाये**। बैग की पिछली जेब से 02 अदद लोहे की राड जिनकी लम्बाई करीब 2 बालिस्ट है बरामद हुयी। जिनके सम्बन्ध में पूछने पर सभी ने एक स्वर में बताया कि इनका प्रयोग हम लोग ताला तोडने में करते है। अभियुक्तगण के पास से बरामद जेवरात व रुपयों के आधार पर उपरोक्त मुकदमों धारा–317(2) बी०एन०एस० की बढोत्तरी की जा रही है। मौके पर मौजूद अपाचे मोटर साइकिल जिस पर आगे पीछे नम्बर प्लेट नहीं है के चेसिस नं0– MD634AE84M2P00564 को ई चालान एप्प में डालकर चेक किया गया तो उक्त गाडी का नम्बर UP32MQ4674 आया जिसका पंजीकृत स्वामी उत्तम कुमार पुत्र नौमीलाल निवासी पोस्ट पहाडपुर मोहम्मदपुर सरैय्या जनपद लखनऊ है। जिसके सम्बन्ध में पूछने पर चारो ने एक स्वर में बताया कि यह अपाचे मोटर साइकिल हम लोगों ने मिलकर शिवखड चौराहा किसान पथ के पास से चोरी की थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कार्यालय बीकेटी से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बीकेटी पर मु०अ०सं० –010/26 धारा–303(2) बी०एन०एस० पंजीकृत है। पकडे गये व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध धारा –303(2)305 ए/331(4)/317(2) बी०एन०एस० व 3/7/9/25 आयुध अधि० व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० के अन्तर्गत आता है। अभियुक्तगण 1. नवाब अली उर्फ सलमान अली उर्फ अर्जुन उर्फ अमन पुत्र अब्दुल हक निवासी बेगरिया निकट ब्राइट ब्रेन्स पब्लिक स्कूल थाना दुबग्गा लखनऊ मूल पता खेरवा पूरबावा थाना सदर कोतवाली जनपद हरदोई उम्र 23 वर्ष, 2. आफताब पुत्र शेख अब्बास निवासी तहसीनगंज चौराहा निकट घासमण्डी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष 3. अफरोज उर्फ मो० फिरोज पुत्र शेख अब्बास निवासी अन्धे की चौकी निकट अली गार्डन मर्फतमऊ थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र लगभग 35 वर्ष को उनके द्वारा किये गये जुर्म व जुर्म की धारा –305 ए/331(4)/317 (2) बीएनएस व 3/7/25 आयुध अधि० व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व अभियुक्त शमशुल पुत्र मो० असफाक निवासी अहमदाबादगंज निकट मदीना मस्जिद थाना तम्बौर जनपद सीतापुर हालपता निकट नवीन सब्जी मण्डी पीली कालोनी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष को उसके द्वारा किये गये जुर्म व जुर्म की धारा 303(2)/305 ए/331(4)/317 (2) बीएनएस व 7/9/25 आयुध अधि० व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० से अवगत कराते हुए समय करीब 04.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण एक साथ मिलकर चोरी की घटनाओ को अंजाम देते है। अभियुक्तगण के पास से बरामद जेवरात व रुपये को मुकदमेवार अलग– अलग पारदर्शी डिब्बे में रखकर व बरामदशुदा कपडे को एक सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद लोहे की राड को सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मोहर किया गया। पानी की बाल्टी में रखे गये जिदा सुतली बम को का० मनोज कुमार को थाने भेजकर परिसर के अन्दर खुले एवं सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया तथा बरामशुदा वाहन सं0– UP32MQ4674 को हे०का० कमलेश वर्मा को सुपुर्द कर जरिये उचित माध्य थाना हाजा भिजवाया गया। बरामद अवैध सुतली बम के सम्बन्ध में फोरेन्सिक टीम को सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जा रही है। गिरफ्तारी मेमों मौके पर तैयार किया गया अभियुक्तगण को बी०एन०एस०एस० की धारा–48 के अन्तर्गत कारण गिरफ्तारी बताते हुए उनको अवगत कराया गया कि वह अपनी पसन्द के अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय मे अपना पक्ष रख सकते है। फर्द मुझ उ०नि० द्वारा मौके पर विवेचना किट से लैपटाप निकाल कर मोबाइल व टार्च की रोशनी में बोल बोल कर उ०नि० पुष्पेन्द चौधरी द्वारा टाइप कराकर तैयार किया गया तथा दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही अन्तर्गत धारा–105 BNSS का अनुपालन करते हुए मौके पर उ०नि० अखिलेश सिंह द्वारा वीडियो रिकार्डिंग अपने मोबाइल

फोन से की गई, वीडियो फुटेज को थाने पहुंचकर सी०डी० में संरक्षित किया जायेगा। दौराने कार्यवाही मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया व हमराह पुलिस बल से कराया गया। दौराने कार्यवाही आने जाने वाले राहगीरों से गवाही हेतु कहा गया भलाई बुराई का हवाला देते हुए हट बढ गये। फर्द को पेनड्राइव मे पीडीएफ फा फाइल सरक्षित कर का० दिग्विजय यादव को चौकी छैला भेज कर प्रिंट कराकर 05 प्रति मगवाया गया। फर्द को मौके पर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के आलामात बनवाये जा रहे है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को अकब से दी जायेगी।"

3. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त आफताब के विरुद्ध मु०अ०सं०–18/2026, धारा–3,7,25 आयुध अधिनियम के तहत अपराध के सम्बन्ध में थाना– मड़ियांव, जनपद–लखनऊ दर्ज किया गया। विवेचना अमल में लाई गई। बाद विवेचना मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त आफताब की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कहा गया है कि उसको दिनांक–10.01.2026 को पुलिस उसके घर से पूछताछ के नाम पर उठा कर ले गयी थी लेकिन दूसरे दिन दिनांक–11.01.2026 को बिना कुछ बताये उसे जेल भेज दिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि किस आरोप में जेल भेज रहे तथा थाने पर ही उससे कई कागजों पर दस्तखत कराये गये। उसके पास से बरामद अवैध पिस्टल 9MM दिखाया गया है, वह सब झूठ है। उसे झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। थाना– मड़ियांव की पुलिस ने सुतली बम पिस्टल वगैरह उसके पास से बरामद दिखाया, जो सब एक मनगढ़न्त कहानी है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो जनता का कोई गवाह नहीं तथा जिनका सामान चोरी हुआ था, उनको बुलाकर शिनाख्त नहीं कराया गया, ये सारी बातें पुलिस की दूषित मानसिकता को दर्शाती हैं। जितने भी मुकदमें लगे हैं, वे सारे एक साथ लगाये गये हैं, इसके पहले उस पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है, झूठा फंसाया गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए मुख्य रूप से संक्षेप में तर्क दिया गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त आफताब को उपरोक्त थाना मड़ियांव की पुलिस द्वारा दिनांक–11.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से एक अदद .9 एम०एम० पिस्टल व तीन अदद जिंदा कारतूस .9 एम०एम० व दो अदद जिंदा कारतूस .303 बोर का बरामद हुआ था। इसके अलावा अन्य नाजायज वस्तु एवं चोरी के सामान बरामद हुए थे। अपराध गम्भीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6. प्रार्थी/अभियुक्त आफताब दिनांक–11.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। उसके विरुद्ध मुख्यतः यह आरोप है कि पुलिस पार्टी द्वारा उसको गिरफ्तार किये जाने के दौरान उसके कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल प्रतिबंधित बोर .9 एमएम, उसमें लगी मैगजीन में 01 अदद जिन्दा कारतूस प्रतिबंधित बोर .9 एमएम, बायी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस प्रतिबंधित बोर .9 एमएम बोर व दाहिनी जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी /अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से 08 अदद सुतली बम भी बरामद किये जाने का आरोप है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अत्यन्त गम्भीर एवं संगीन प्रकृति के हैं।

7. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, गवाहों के बयान तथा प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत, मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त आफताब को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थी/अभियुक्त **आफताब** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनाँक–02.04.2026

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, लखनऊ।
जे०ओ०कोड– यू०पी० 2398

Digitally signed by JAINENDRA KUMAR PANDEY
Date: 2026.04.02 17:06:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court